

सीएसआईआर - मानव संसाधन विकास समूह  
सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली - 110012

संख्या. सीएसआईआर-एचआरडीजी/आरवीपी/2026

दिनांक 27.02.2026


**कार्यालय ज्ञापन**

- विषय: पुरस्कारों का युक्तिकरण - 'राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार' के दिशा-निर्देशों को अद्यतित करने के संबंध में।
- संदर्भ:(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी दिनांक 27.09.2023 का कार्यालय ज्ञापन संख्या डीएसटी/पीसीपीएम/एमआईएससी./अवार्ड्सएण्डडेकोरेशन/06/2020 ।
- (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी दिनांक 05.11.2025 का कार्यालय ज्ञापन संख्या डीएसटी/पीसीपीएम/एमआईएससी./अवार्ड्सएण्डडेकोरेशन/06/2020/011
- (iii) गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11.02.2026 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/1/2020-लोका

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संदर्भ (i) में उद्धृत कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से "राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (आरवीपी)" नामक राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई शृंखला को अधिसूचित किया गया और 06 विज्ञान मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित सभी तत्कालीन मौजूदा राष्ट्रीय पुरस्कारों और आंतरिक पुरस्कारों को बंद कर दिया गया। उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरुआती पहले दो वर्षों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा से लेकर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया के समन्वय की जिम्मेदारी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सौंपी है। आरवीपी के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संदर्भ (ii) में उद्धृत कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आरवीपी के कार्यान्वयन के समन्वय हेतु सीएसआईआर की जिम्मेदारी को अतिरिक्त तीन वर्षों (2026-2028) के लिए विस्तारित कर दिया है।

गृह मंत्रालय ने संदर्भ (iii) में उद्धृत कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के सचिवों / अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक का संदर्भ दिया और विज्ञान के क्षेत्रों में पुरस्कारों के युक्तिकरण से संबंधित सिफारिशों को अधिसूचित किया गया है।



तदनुसार, गृह मंत्रालय के उक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित पूर्वोक्त सिफारिशों के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने संदर्भ (i) में उद्धृत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी आरवीपी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित परिवर्धन को अनुमोदित करने के लिए सहमति प्रदान की है:

- "रक्षा प्रौद्योगिकी" को एक समर्पित विषय श्रेणी के रूप में शामिल किया जाना
- आरवीपी की मौजूदा चयन समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाना:
  1. सचिव, डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)
  2. सचिव, डीएआरई (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
  3. सचिव, खान मंत्रालय
  4. सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
  5. महानिदेशक, आईसीएमआर (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)

- अद्यतित आरवीपी दिशानिर्देश

अद्यतित आरवीपी दिशानिर्देश सभी संबंधितों की सूचना के लिए एतद् संलग्न हैं

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न: अद्यतित आरवीपी दिशानिर्देश

  
(उमेश गुप्ता)  
उप सचिव  
पुरस्कार अनुभाग

प्रतिलिपि:

1. माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का कार्यालय
2. भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
3. महानिदेशक (पुरस्कार), गृह मंत्रालय का कार्यालय
4. सचिव डीएसआईआर और महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
5. सचिवों के कार्यालय – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग / जैव प्रौद्योगिकी विभाग / पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय / अंतरिक्ष विभाग/परमाणु ऊर्जा विभाग / रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन / कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/खान/रसायन और पेट्रो रसायन / स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
6. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर / वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर / मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर / विधि सलाहकार, सीएसआईआर
7. सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं / संस्थानों के निदेशक



8. मानव संसाधन विकास समूह / मानव संसाधन विकास केंद्र / पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय / बौद्धिक संपदा इकाई / अनुप्रयुक्त सूचना प्रसार और प्रकाशन निदेशालय / भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड / केंद्रीय योजना प्रभाग के प्रमुख
9. आरवीपी सचिवालय, सीएसआईआर - मानव संसाधन विकास समूह
10. श्री कमलेश रबिदास, अवर सचिव (लोक), गृह मंत्रालय, कर्तव्य भवन 3, नई दिल्ली, कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/1/2020-लोक दिनांक 11.02.2026 के संदर्भ में
11. सीएसआईआर और सीएसआईआर - मानव संसाधन विकास समूह की वेबसाइट्स
12. कार्यालय प्रति



उप सचिव

पुरस्कार अनुभाग